| आदेश की कम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधकारी,राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0– 16/2014–15
प्रथम पक्ष– बासेद शेख
बनाम
फुलसन बीबी वगै0
आदेश

4.4.19

आवेदक बासेद शेख, पिता– स्व0 रूस्तम शेख, सा0– आलमपुर, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के द्वारा आवेदन दाखिल कर आवेदक विपक्षी को विवादित जमीन से उच्छेद कराना चाहते हैं। अवलोकन किया। उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के आवेदन से संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई एवं विपक्षी को नोटिश निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई तथा अंचल अधिकारी, उधवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विवादित भूमि का विवरण :–

| मौजा | ज0 नं0 | दाग नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|
| जोंका | 545 | 1441 | 05 कट्ठा 09 धूर |

आज आवेदक उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। फलस्वरूप आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि विवादित जमीन मौजा जोंका नं0 148, जमाबंदी नं0– 545, दाग नं0– 1441, रकवा 05 कट्ठा 09 धूर जमीन आवेदक के नाना हाफीजुद्दीन शेख, पिता– स्व0 एनायत शेख के नाम से खतियान में दर्ज है। उक्त जमीन आवेदक के शांतिपूर्ण दखल कब्जा व स्वत्व अधिकार में है। वर्णित जमीन आवेदक एवं उनके भाई की संयुक्त संपत्ति है। आवेदक की अपनी संयुक्त सम्पत्ति मौजा जोंका के जमाबंदी नं0– 545 दाग नं0– 1441 रकवा 05 कट्ठा 09 धूर में से विपक्षी सं0 फुलसन बीबी जोर जबरदस्ती लगभग 02 कट्ठा जमीन पर पक्के का मकान लगभग 04 फीट उठा चुके हैं तथा विपक्षी सं0 02 एवं 03 उक्त भोग–दखल वाली जमीन पर लगभग 03 कट्ठा 09 धूर जमीन पर मिट्टी का मकान बनाया है, जो गलत एवं अवैध है। आवेदक एवं उनके भाईगण दिनांक 08.11.2009 दिन रविवार समय करीब 12 बजे दिन में उक्त जमीन पर गये और विपक्षियों को कहे कि मेरा जमीन से मकान हटा ले, तो इतना सुनते ही सभी विपक्षीगण गाली–गलौज देना प्रारम्भ कर दिये और जोरदार शब्दों से कहे कि यदि दोबारा इस जमीन पर आओगे एवं घर हटाने के लिए कहोगे तो इसी जमीन पर जान मारकर गाड देंगे।

अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त विवादित जमीन से विपक्षीगण को उच्छदे करने का अनुरोध किये हैं।

विपक्षीगण क्र0 02 एवं 03 की ओर से दिनांक 26.03.2015 को कारण पृच्छा दाखिल करते हुए कहा है कि मौजा जोंका के जमाबंदी नं0– 545 दाग नं0– 1441 के अन्दर विवादित भूमि 03 कट्ठा 09 धूर पर उपरोक्त विपक्षी का घर है, जो वैधानिक रूप से बना हुआ है। उक्त जमीन विपक्षियों की माँ बीबी अमीना खातुन ने दिनांक 20.12.1980 को अपने पति दुखु शेख से निबंधित विक्रयनामा केवाला सं0 6395 के जरीये प्राप्त की है। माँ के मरणोपरांत उक्त जमीन उनके वारिस विपक्षी सं0 02 एवं 03 के पूर्ण स्वामित्व व भोग दखल कब्जे में है। अमीना

Scanned with CamScanner

खातुन के नाम से लगान का भुगतान भी किया जा रहा है। विवादित जमीन 03 कट्ठा 09 धूर सरकार के पंजी II में भी विपक्षियों की माँ अमीना खातुन के नाम से दर्ज है। श्रीमान् के न्यायालय से आर0ई0 वाद सं0 19/2009–10 बासेद शेख–बनाम्–फुलसन बीबी व अन्य में दिनांक 16.01.2014 को पारित आदेश में इस तथ्य का उल्लेख है। उन्होंने यह भी उल्लेख किये है कि पूर्व न्याय (Res-Judicata) के सिद्धांत के आधार पर भी यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है। इसे खारिज किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान आवेदक ने दिनांक 10.11.2009 को भी एक उच्छेदी वाद सं0 19/2009–10 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत् दायर किया था। जिसमें पूर्ण सुनवाई के पश्चात दिनांक 16.01.2014 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है। पुनः उसी आवेदक बासेद शेख ने उसी जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 के तहत् एक और उच्छेदी वाद दायर किये है। इसलिए दं0प्र0सं0 की धारा 11 में वर्णित Res-Judicata दूसरे वाद में संस्थापन को वर्जित है, क्योंकि Res-Judicata इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक ही विषय को बार–बार का विषय नहीं बनाया जा सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनिमय 1949 की धारा 20(5) अहस्तांतरणीय भूमि (आदिवासियों की जमीन) से अवैध दखलकार को उच्छेद करने का प्रावधान है। इस वाद में विवादित जमीन हस्तांतरणी एवं गैर आदिवासी की जमीन है। इसलिए धारा 20(5) लागु नहीं होगा। इस आधार पर भी इस वाद को खारिज किया जा सकता है।

अतः विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने इस लिखित बहस को स्वीकार करते हुए वाद को खारिज करने का अनुरोध किये हैं।

आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किये हैं।

1. मौजा जोंका, जमाबंदी नं0– 545 का खतियान स्लीप की छाया प्रति एवं हिन्दी अनुवाद सहित 2–2 प्रति में।
2. लगान रसीद की छाया प्रति।

विपक्षी की ओर से अपने अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार का कागजात दाखिल नहीं किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं विपक्षी के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा के अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि इस वाद भूमि में पूर्ण सुनवाई के पश्चात दिनांक 16.01.2014 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है। पुनः उसी आवेदक ने वही जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 के तहत् यह उच्छेदी वाद लाये हैं। Code of Civil Procedure की धारा 11 में वर्णित Res-Judicata प्रस्तुत वाद के संस्थापक को वर्जित है, क्योंकि Res-Judicata के सिद्धांत के आधार पर एक ही विषय पर निर्णय बार–बार नहीं किया जा सकता है।

अतः आवेदक के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को खारिज किया जाता है। आवेदक चाहे तो इसका निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल प्रदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner